भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1423

मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएलआई योजना का कार्यान्वयन

1423. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को किस प्रकार से कार्यान्वित किया जा रहा है;
(ख) देश से निर्यात बढ़ाने के लिए अपनाई गई नीति क्या है;
(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए है;
(घ) विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या सुधार किए गए हैं; और
(ङ) वैश्विक बाजार में भारत की औद्योगिक स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने, निर्यात में वृद्धि करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और आयात निर्भरता में कमी करने के उद्देश्य से 1.91 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह हैं, जबकि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) समग्र समन्वय और निगरानी के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएलआई स्कीमों के अंतर्गत 14 क्षेत्रों के 892 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 2.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वास्तविक निवेश, 22.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन/बिक्री, 15.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात, 14.15 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) रोजगार सृजित हुए हैं, जिनमें से 8.4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार हैं, तथा 35,354 करोड़ रुपए की संचयी प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है। पीएलआई स्कीमों ने महत्वपूर्ण उत्पादों एवं घटकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके, स्थानीय मूल्य वर्धन को मजबूत करते हुए तथा भारतीय विनिर्माताओं को वैश्विक

मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत करके विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ बनाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों का क्षेत्रगत प्रभाव निम्नानुसार है:-

- व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में, स्कीम की शुरूआत के बाद से मोबाइल फोन उत्पादन में लगभग 2.4 गुना की वृद्धि हुई है। मोबाइल फोन के आयात में लगभग 77% की कमी आई है तथा वर्तमान में भारत में उपयोग किए जाने वाले लगभग 99.2% मोबाइल फोन का विनिर्माण घरेलू रूप से ही किया जा रहा है।

- फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में इस स्कीम के तहत 3.64 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संचयी बिक्री दर्ज की गई है। इसके साथ ही, 1,931 फार्मास्यूटिकल उत्पादों का घरेलू विनिर्माण संभव हुआ है, जिनमें 191 बल्क ड्रग्स ऐसे हैं जिनका पहली बार भारत में विनिर्माण किया गया है। इससे देश की घरेलू विनिर्माण क्षमता सुदृढ़ हुई है।

- बल्क ड्रग्स क्षेत्र में, 26 महत्वपूर्ण एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) के लिए लगभग 55,000 मीट्रिक टन की विनिर्माण क्षमता स्थापित की गई है, जिससे घरेलू उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा पैरासिटामोल, लेवोफ्लोक्सासिन और नॉरफ्लोक्सासिन जैसे उत्पादों के आयात पर निर्भरता में कमी आई है।

- चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण हेतु पीएलआई स्कीम के कारण सीटी स्कैनर, एमआरआई सिस्टम, कैथ लैब तथा अल्ट्रासोनोग्राफी उपकरण जैसे उन्नत चिकित्सा उपकरणों का घरेलू विनिर्माण सुगम हुआ है। इस स्कीम के अंतर्गत 22 आवेदकों ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है तथा 55 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण शुरू किया जा चुका है।

- दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद क्षेत्र में, इस स्कीम ने स्वदेशी 4जी प्रौद्योगिकी तथा 5जी दूरसंचार उपकरणों की घरेलू विनिर्माण क्षमता के विकास को सहायता प्रदान की है, जिससे भारत के दूरसंचार विनिर्माण ईकोसिस्टम को मजबूती मिली है।

- व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम ने घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के उल्लेखनीय विस्तार में योगदान दिया है। कंप्रेसर की विनिर्माण क्षमता वर्ष 2021 के 1 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 10 मिलियन हो गई है। साथ ही, पीसीबीए तथा क्रॉस फ्लो फैन जैसे प्रमुख घटकों का स्थानीयकरण भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप एयर कंडीशनर के अनेक महत्वपूर्ण घटकों का घरेलू विनिर्माण प्रारंभ हुआ है।

(ख): सरकार निर्यात को बढ़ावा देने तथा पारंपरिक क्षमताओं के साथ-साथ प्रौद्योगिकी-आधारित उभरते हुए क्षेत्रों का लाभ उठाते हुए वैश्विक स्तर पर देश के उत्पादों की उपलब्धता का विस्तार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य का मूल तत्व एक ऐसा सहायक ईकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें विशेष रूप से एमएसएमई सहित निर्यातक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पूरे विश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस प्रयास को गतिशील नीतिगत फ्रेमवर्क, सुदृढ़ वित्तीय प्रोत्साहनों, विकसित हो रही डिजिटल अवसंरचना, बेहतर व्यापार सुविधाओं तथा नवीनतम व्यापार समझौतों के माध्यम से बाजार तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के दृढ़ प्रयासों द्वारा और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है।आरओडीटीईपी स्कीम निर्यातों पर लगाए गए करों को निष्प्रभावी बनाने और भारतीय वस्तुओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। हाल ही में शुरु किए गए निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) ने इस प्रयास को दो लक्षित स्तंभों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ किया है–पहला, किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच का विस्तार करना तथा दूसरा, संपूर्ण निर्यात मूल्य शृंखला में गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग एवं बाजार तत्परता का उन्नयन करना। सरकार ने 25,060 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31) के साथ निर्यात संवर्धन मिशन को अनुमोदन प्रदान किया है। यह मिशन 'निर्यात प्रोत्साहन' (जिसका फोकस व्यापार वित्त एवं ऋण संवर्धन पर है) तथा 'निर्यात दिशा' (जिसका फोकस निर्यात लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एवं बाजार पहुंच पर है) के माध्यम से संचालित किया जाता है और वि शेष रूप से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित है।

नीतिगत उपायों तथा बढ़ रही डिजिटल अवसंरचना के साथ मिलकर, सक्रिय व्यापार कूटनीति, वैश्विक बाजारों तक पहुंच को सुदृढ़ करने तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में देश के प्रयासों को और अधिक मजबूत करती है। 19 एफटीए तथा वर्ष 2021 से नए सिरे से किए गए प्रयासों से भारत ने प्रमुख भागीदार देशों के साथ आठ महत्वपूर्ण समझौतों को पूरा किया है अथवा उनमें उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत-ईयू एफटीए, जो यूरोपीय संघ के लगभग संपूर्ण टैरिफ दायरे तक पहुंच प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण समझौता है, भारत को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ और अधिक गहनता से एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए) भारत का पहला ऐसा एफटीए है, जिसमें ईएफटीए देशों के निवेशकों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से एक समर्पित प्रतिबद्धता शामिल की गई है। न्यूजीलैंड, ओमान तथा यूके के साथ व्यापार समझौते बाजार तक पहुंच का विस्तार करेंगे, सेवाओं की आवाजाही को बढ़ावा देंगे, दीर्घकालिक निवेश सुनिश्चित करेंगे तथा व्यवसायों के लिए पूर्व-अनुमान योग्य विनियामक परिवेश उपलब्ध कराएंगे। वहीं, इजराइल, कनाडा, जीसीसी देश, चिली तथा पेरू के साथ जारी वार्ताएं विभिन्न क्षेत्रों में उच्च-मूल्य व्यापार कोरिडॉर्स का विस्तार करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

भारत की निर्यात रणनीति समग्र सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है, जो केवल लेन-देन आधारित सहायता से आगे एक सुदृढ़, प्रतिस्पर्धी तथा भविष्य के लिए

तैयार ईकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में बढ़ रही है। लक्षित वित्तीय प्रोत्साहनों, प्रौद्योगिकी आधारित व्यापार सुविधाओं, संस्थागत सुधारों तथा बाजार तक पहुंच बढ़ाने संबंधी सक्रिय पहलों के समन्वय के माध्यम से डिजिटल प्रशासन को सुदृढ़ करने, वैश्विक पहुंच का विस्तार करने तथा विभिन्न सेक्टरों एवं क्षेत्रों में निर्यातकों की क्षमताओं को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। यह एकीकृत दृष्टिकोण भारत को वैश्विक व्यापार में केवल एक सहभागी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय, प्रौद्योगिकी आधारित भागीदार के रूप में स्थापित करता है।

(ग): सरकार ने देश में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई पहलें नीचे दी गई है:

i. एमएसएमई क्षेत्र के दायरे को व्यापक बनाने के लिए निवेश और कारोबार के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड।
ii. एमएसएमई के पंजीकरण के लिए "उद्यम पंजीकरण", जो पूरी तरह से ऑनलाइन, नि:शुल्क और स्व-घोषणा-आधारित पोर्टल है, इस प्रकार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है।
iii. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए 'उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म' ने पंजीकृत आईएमई को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लाभ प्राप्त करने में मदद की।
iv. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में शामिल करना।
v. एमएसएमई इकाई द्वारा अपने से ऊपर की श्रेणी में आने के मामले में गैर-कर लाभ को 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।
vi. एमएसएमई मंत्रालय ने वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से एमएसई को शिकायतें दर्ज करने और बकाया राशि की निगरानी के लिए समाधान पोर्टल का शुभारंभ किया है।
vii. शिकायतों के निवारण और एमएसएमई की सहायता सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" का शुभारंभ किया गया।
viii. एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ऋण, विपणन, कौशल, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवसंरचना आदि तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012, एमएसएमई निष्पादन को बढ़ाना और इनमें तेजी लाना (आरएएमपी), आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि, पीएम-विश्वकर्मा स्कीम, उपकरण कक्ष और प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) आदि शामिल है।

(घ): हाल के वर्षों में, भारत एफडीआई के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थल रहा है। भारत ने आर्थिक विकास को गति देने और विदेशी पूंजी अंतर्वाह को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीतियों को उदार बनाने के उद्देश्य से कई सुधार किए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल नीति लागू की है, जिसके तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्र स्वतःअनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। 90% से अधिक एफडीआई अंतर्वाह स्वतःअनुमोदन मार्ग से प्राप्त होता है। भारत में कोई भी उद्योग शुरू करने और आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए निवेशकों हेतु भारत सरकार के ऑनलाइन सिंगल प्वांइट इंटरफेस के रूप में नैशनल सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) को भी शुरू किया गया है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक आकर्षक और निवेशक अनुकूल गंतव्य बना रहे, सरकार एफडीआई नीति की सतत् आधार पर समीक्षा करती है और शीर्ष उद्योग मंडलों, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों और अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ गहन परामर्श करने के बाद उनके विचारों/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर परिवर्तन करती है।

एफडीआई नीति के प्रावधानों को पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाओं, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, प्रसारण, फार्मास्यूटिकल्स, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण और विकास, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स कार्यकलापों, कोयला खनन, संविदा विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, नागर विमानन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में उत्तरोत्तर उदार और सरल बनाया गया है। हाल के दिनों में, एफडीआई नीति में रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों के संबंध में सुधार किए गए हैं।

2019 से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए शुरू किए गए सुधारों को **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ.): भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। भारत ने वैश्विक निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में खुद को लगातार स्थापित किया है। पिछले एक दशक में, लगातार सुधारों, सरल विनियमों और एक स्थिर नीतिगत वातावरण ने विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है। लक्षित क्षेत्रगत प्रोत्साहनों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने की पहल ने वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत किया है।

पिछले 11 वर्षों (2014-25) में भारत में कुल एफडीआई अंतर्वाह 748.78 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो 2003-14 के दौरान प्राप्त 308.38 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 143% अधिक था। भारत वित्त वर्ष 2025-26 में सकल एफडीआई अंतर्वाह के मामले में

94.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 17% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में विनिर्माण एफडीआई (वित्त वर्ष 2023-24 में 16.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से) 18 प्रतिशत बढ़कर 19.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में उत्पादन में छह गुना वृद्धि और निर्यात में आठ गुना वृद्धि देखी गई है।

भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग एक वैश्विक पावरहाउस है, जो मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरे स्थान पर है और उत्पादन मूल्य के मामले में 14वें स्थान पर है, जो वैश्विक वैक्सीन की मांग का 50 प्रतिशत से अधिक और अमेरिका को लगभग 40 प्रतिशत जेनेरिक की आपूर्ति करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, भारत का वस्त्र और परिधान उद्योग विश्व स्तर पर सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2.3 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में 13 प्रतिशत और कुल निर्यात में 12 प्रतिशत का योगदान देता है।

अनुबंध

दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1423 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

i. वर्ष 2019

क. कोयला वॉशरी, क्रशिंग आदि जैसी संबद्ध प्रसंस्करण अवसंरचना सहित कोयले की बिक्री और अन्य कोयला खनन कार्यकलापों के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। इससे पहले, केवल सीमित खपत के लिए कोयला खनन में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति थी।

ख. विनिर्माण क्षेत्र में, संविदागत विनिर्माण के लिए प्रिंसिपल टु प्रिंसिपल अथवा प्रिंसिपल टु एजेंट के आधार पर स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई।

ग. सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) - एसबीआरटी कंपनी द्वारा भारत से की गई सभी अधिप्राप्ति को स्थानीय खरीद के रूप में गिना जाएगा, भले ही खरीदे गए सामान भारत में बेचे जाएं या निर्यात किए जाएं।

घ. डिजिटल मीडिया में, समाचार और समसामयिक विषयों की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 26% एफडीआई की अनुमति दी गई। इससे पहले टीवी चैनलों में 49% और प्रिंट मीडिया में 26% एफडीआई की अनुमति थी।

ii. वर्ष 2020

क. बीमा ब्रोकरों, सलाहकारों, टीपीए, सर्वेक्षकों और हानि मूल्यांकनकर्ताओं आदि जैसी बीमा संबंधी मध्यवर्ती सेवाओं में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। बीमा कंपनियों के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 49% एफडीआई की अनुमति दी गई।

ख. एनआरआई द्वारा वायु परिवहन सेवाओं में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई। अन्य के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 49% और सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की सीमा बनी हुई है।

ग. प्रेस नोट-3 - यदि निवेशक कंपनी भू-सीमा साझा करने वाले देश से संबंधित है, अथवा यदि ऐसे निवेश का लाभकारी स्वामी वहां रहता है अथवा ऐसे देश का नागरिक है, तो केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि भारत में किसी कंपनी में मौजूदा या भावी एफडीआई का स्वामित्व इस प्रकार स्थानांतरित किया जाता है कि लाभकारी स्वामित्व इस प्रतिबंध के अंतर्गत आता है, तो ऐसे परिवर्तन के लिए भी सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

घ. रक्षा क्षेत्र में नए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की इच्छुक कंपनियों को स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 74% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है (पहले यह

49% थी)। सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 74% से अधिक और 100% तक एफडीआई की अनुमति है।

iii. वर्ष 2021

क. बीमा कम्पनियों में एफडीआई को स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 49% से बढ़ाकर 74% किया गया तथा सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति दी गई।

ख. अनिवासी भारतीयों द्वारा गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर किया गया निवेश निवासियों के समान घरेलू निवेश माना जाएगा।

ग. पीएनजी क्षेत्र के पीएसयू में उन मामलों में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई, जहां सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है।

घ. दूरसंचार क्षेत्र में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई।

iv. **वर्ष** 2022

क. जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 20% एफडीआई की अनुमति दी गई।

v. वर्ष 2024

क. अंतरिक्ष क्षेत्र को निर्धारित उप-क्षेत्रों/कार्यकलापों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु उदार बनाया गया है।

vi. 2025:

क. एफडीआई के लिए निषिद्ध क्षेत्रों में संलग्न भारतीय कंपनियों द्वारा मौजूदा अनिवासी शेयरधारक (शेयरधारकों) को बोनस शेयर जारी करने की अनुमति के संबंध में स्पष्टीकरण।

vii. 2026:

क. भारत में अपना संपूर्ण प्रीमियम निवेश करने वाली कंपनियों हेतु एफडीआई सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के लिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई नीति में संशोधन।

ख. भारत के साथ भू-सीमा साझा करने वाले देशों (एलबीसी) के निवेश पर दिशानिर्देशों में संशोधन:

- धन शोधन निवारण नियम, 2005 के तहत लाभकारी स्वामित्व के निर्धारण के लिए एक परिभाषा और मानदंड का प्रावधान करता है। 10 प्रतिशत तक के गैर-नियंत्रित एलबीसी स्वामित्व वाले निवेशकों को लागू क्षेत्रगत सीमा, प्रवेश मार्गों, संबंधित शर्तों के अनुसार स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति दी जाएगी। इस तरह के निवेश, निवेशप्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा डीपीआईआईटी को प्रासंगिक जानकारी/विवरण की

रिपोर्टिंग के अधीन होंगे।

- पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण, पॉलीसिलिकॉन (और इनगॉट-) वेफर्स, एडवांस्ड बैटरी घटकों, रेअर अर्थ स्थायी चुंबक, रेअर अर्थ प्रोसेसिंग में विनिर्माण के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों/कार्यकलापों में एलबीसी निवेश के प्रस्तावों पर 60 दिनों के भीतर कार्यवाही की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। इन मामलों में, निवेशप्राप्तकर्ता कंपनी की अधिकांश शेयरधारिता और नियंत्रण हर समय निवासी भारतीय नागरिक (नागरिकों) और/या ऐसी निवासी भारतीय कंपनी (कंपनियो) के पास होगा जो निवासी भारतीय नागरिक (नागरिकों) के स्वामित्व और नियंत्रण में हों।

ग. वर्ष 2026 के दिनांक 23.07.2026 के प्रेस नोट 3 को डीपीआईआईटी द्वारा अधिसूचित किया गया है और भारतीय विक्रेताओं द्वारा वैश्विक बाजारों तक आसान और बढ़ी हुई पहुंच के माध्यम से अधिक निर्यात की सुविधा के लिए ई-कॉमर्स पर मौजूदा एफडीआई नीति को संशोधित किया गया है, और यह निर्णय लिया गया है कि घरेलू रूप से विनिर्मित और/या उत्पादित वस्तुओं/उत्पादों के निर्यात के मामले में ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री-आधारित मॉडल पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
